

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 24.07.2026 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. डॉ० मनीष कुमार, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा
2. श्री अनिल कुमार राय, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।
3. श्री मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), सारण, छपरा - सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य-

जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज (VC के माध्यम से)

कार्यवाही:-

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा उपस्थित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. विगत बैठक दिनांक-23.06.2026 की कार्यवाही का अनुपालन हेतु निदेश दिया गया।

3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा-76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सके।

माह-जुलाई, 2026 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु कुल-36 नये आवेदन एवं प्रतिहस्ताक्षर हेतु कुल-02 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों पर विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या-3(i) परिशिष्ट-I पर दर्ज है।

इस बैठक हेतु प्राप्त आवेदन की विवरणी						पूर्व से लंबित आवेदन की विवरणी		
कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन	पूर्व से कुल लंबित	स्वीकृत	अस्वीकृत
36	28	05	02	01	-	-	-	-
02	-	-	02	-	-	-	-	-

प्राधिकार का निर्णय कार्यावली संख्या परिशिष्ट-I पर, पृष्ठ संख्या-01 से 32 तक कुल-32 पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दि० 6.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के लिए निर्देश।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।

	ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	
6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021	शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।
7	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-7695, दिनांक-13.05.2024	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0-6479, दिनांक-30.09.2022	सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्यता के संबंध में।
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
11	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1557 दिनांक 07.03.2022	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।
12	सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 4156 दिनांक 01.06.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. के संबंध में।

5. दो वाहनों के प्रस्थान समय में न्यूनतम अन्तराल :- प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 में विचार-विमर्श करने के उपरान्त यात्रीगणों की सुविधा, परमिट हेतु प्राप्त आवेदनो की संख्या, बस पड़ाव में भीड़-भाड़ व वाहन स्वामियों के अनुरोध एवं सुझाव तथा अन्य निकटतम प्राधिकारों की पॉलिसी इत्यादि को देखते हुए इसमें निम्न कंडिका "क" एवं "ख" के अनुरूप संशोधन किया गया, जिसे यथावत् रखते हुए प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में कंडिका "ग" एवं "घ" जोड़कर इसे और अधिक स्पष्ट किया गया, ताकि समय-अंतराल के किसी बिंदु पर संशय की स्थिति नहीं रहे, जो निम्नवत है :-

(क) प्रारम्भिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:-

(i) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पूर्व (Before) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय के बाद (After) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:- किसी मार्ग के मध्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में अन्तराल (पहले या बाद में) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का अनुमान्य होगा।

(ग) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में समय-अंतराल:-

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन एवं आवेदित वाहन का प्रारम्भिक बिन्दु (किसी एक तरफ से भी) समान होने की स्थिति में नये आवेदनों के शिवाय समय-अंतराल का उपरोक्त कंडिका-(क) एवं (ख) के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का प्रारम्भिक बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय-अंतराल पहले (Before) न्यूनतम 05 मिनट तथा बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।

(iii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक बिन्दु होने की स्थिति में समय-अंतराल पहले (Before) या बाद में (After) न्यूनतम 02 मिनट का अनुमान्य होगा।
(घ) मार्ग भिन्न परन्तु कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में समय-अंतराल संबंधी उपरोक्त कंडिका (क), (ख) एवं (ग) के प्रावधान लागू/मान्य नहीं होंगे।

प्राप्त आवेदन एवं आपत्तियों के सुनवाई के क्रम में प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय आवेदकों द्वारा उक्त समय अंतराल का अनुपालन किये बगैर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, जिस कारण उनके समय-सारणी में ट्रिप कटाव/बाईपास करते हुए परमिट पर विचार किया जाता है। इस बिन्दु पर कई आवेदकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिस वाहन के समय-सारणी से उनके आवेदित समय-सारणी का टकराव हो रहा है वह वाहन भी उनकी है अथवा उनके बैनर के अंतर्गत चलने वाली वाहन है। साथ ही कभी यह भी कहा जाता है कि जिनके वाहन के परमिट से समय का टकराव हो रहा है उनको कोई आपत्ति नहीं है एवं इस तर्क के साथ परमिट हेतु अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि **उक्त मामला टाईम स्लॉट का है। परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु बस को दी जाती है न कि किसी व्यक्ति को।** चूंकि प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामियों द्वारा Modus Operandi के तहत एक रूट में क्रमवार अपने बैनर के अंतर्गत चार-पाँच वाहनों का परमिट प्राप्त कर लिया जाता है और उसमें से एक-दो वाहनों का ही परिचालन किया जाता है। शेष वाहनों को अन्यत्र स्थानों यथा-विद्यालय, आदि में संचालित किया जाता है तथा यात्रियों को बस के क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐसे टाईम स्लॉट का प्रावधान लागू किया गया है। **यह टाईम स्लॉट सभी पर सामान रूप से लागू होगा, चाहे समय का टकराव खुद की वाहन से ही क्यों न हो रहा हो।**

6 (i) उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ (FIFO) :- जिन वाहन स्वामियों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया का पालन कर प्राधिकार के आगामी बैठक में आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 28.10.2024 से "पहले आओ-पहले पाओ" का नियम लागू किया गया है, जिसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार (Server time के अनुसार) विचार किया जाएगा।

(ii) पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत के मद्देनजर कई बार पहले प्राप्त आवेदन के आलोक में किसी के बाद में प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है या उससे हो रहे टकराव के कारण खेप कटाव किया जाता है। इसी दरम्यान पहले प्राप्त आवेदन पर किसी अन्य वाहन पर आवृत्त परमिट से उक्त आवेदन (पहले) के किसी खेप में कटाव होता है और वह आवेदक उक्त खेप कटाव के कारण अपने उक्त परमिट आवेदन को Dispose Off करने हेतु कार्यालय में आवेदन देता है, तो वैसी स्थिति में न ही पहले और ना ही बाद में प्राप्त आवेदक को परमिट मिल पाता है, जिससे उक्त टाईम स्लॉट फी हो जाता है। ऐसे मामलों में प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले वाले आवेदनकर्ता द्वारा यदि परमिट नहीं लिया जाता है, तो बाद वाले आवेदनकर्ता यदि इच्छुक होंगे तो परमिट स्वतः स्वीकृत मानते हुए परमिट निर्गत कर दी जाएगी।

(अनुपालन:आर0टी0ए0 सचिव/संबंधित वाहन स्वामी/संबंधित आपत्तिकर्ता)

(iii) Overlapping of Route:- मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आते रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग पर परमिट धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध किया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 में निर्णय लिया गया था कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक-दूसरे को आच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए नियमानुसार परमिट निर्गमण की कार्यवाई की जायेगी तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो एवं समय का टकराव

पूर्व के परमिट से आच्छादित वाहन से हो रहा हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए आपत्ति के आलोक में नियमानुसार ट्रिप कटाव/बाईपास कर परमिट निर्गमण के बिंदु पर विचार की जायेगी।

(iv) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7695, दिनांक-13.05.2024 के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक-10.09.2024 की कार्यवाही में सभी बस मालिकों को उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक-20.09.2024 के अंक में एवं तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र हिन्दुस्तान व प्रभात खबर के दिनांक-10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अपने बसों के दोनों तरफ (a) परमिटधारी का नाम एवं पता (b) परमिट संख्या एवं वैधता (c) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (d) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लेने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही अधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः सभी बस मालिकों को पुनः निदेशित किया गया कि वे अपने बसों के दोनों तरफ उपरोक्त सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करा लें अन्यथा पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ-साथ नियमानुसार परमिट निलंबन/रद्द करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया जायेगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन: सभी DTO, सारण प्रमंडलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(v) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित एवं सक्रिय कराया जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6479, दिनांक-30.09.2022 द्वारा VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177, 179 एवं धारा-190(2) का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक-30.11.2024 हेतु मिश्रा-बन्धु बैनर के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं उसपर प्राप्त आपत्ति, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में निबंधित कई बसों का उल्लेख किया गया था, जिसके सुनवाई के क्रम में पाया गया कि उन बसों में VLTD स्थापित नहीं है। इस बिंदु पर पृच्छा किये जाने पर मिश्रा बन्धु बस सेवा के स्वामी एवं अन्य उपस्थित पक्षों द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं है।

इस बिंदु पर सभी वाहन स्वामियों को संबोधित करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि भले ही किसी राज्य में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य नहीं हो, परन्तु यह बिहार राज्य में अनिवार्य किया गया है। इसलिए इस प्राधिकार के क्षेत्र अंतर्गत यदि किसी अन्य राज्य से निर्गत परमिट पर वाहन का परिचालन किया जाता है, तो उस वाहन में VLTD स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य

है। अन्यथा परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-6479, दिनांक-30.09.2022 का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार संबंधित वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 के कार्यवाही में एवं समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक-20.09.2024 के अंक में तथा तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" व "प्रभात खबर" के दिनांक-10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अनुपालन हेतु निदेशित किया गया था। साथ ही प्राधिकार के सभी बैठकों में नियमित रूप से उक्त के अनुपालन हेतु निदेशित किया जाता रहा है। परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है।

प्राधिकार की बैठक दिनांक 29.05.2025 के लिए प्राप्त आपत्ति के आलोक में वाहन सं०-BR06PF-5542, BR05PB-8293 एवं BR05PB-8073 का VLTD जाँच में पाया गया कि उक्त तीनों वाहनों में VLTD अधिष्ठापित एवं सक्रिय तो है, परन्तु उसका डाटा VLTD कंट्रोल रूम को आज तक नहीं भेजा गया है या पिछले कई माहों से नहीं भेजा रहा है, जो परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1557, दि०-07.03.2022 एवं पत्रांक-4156, दि०-01.06.2023 में वर्णित प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया गया एवं **सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया है कि वे नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे कि उनके वाहन में अधिष्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। ऐसा नहीं होने पर उनकी जानबूझकर लापरवाही मानते हुए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी।**

अतएव सभी बस मालिकों को पुनः निदेश दिया गया कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाहन में अधिष्ठापित VLTD उपकरण कार्य कर रहा है तथा Cellular Connectivity के द्वारा राज्य अनुश्रवण केन्द्र को आवश्यक सूचना नियमित रूप से भेज रहा है। VLTD स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा VLTD स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर नियमानुसार परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत प्रतिदिन कम से कम 20 बसों का VLTD की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

(vi) वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी :-

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 से ऊपर	100

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रहा हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही बस की आयु

15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। ध्यान रहे कि परिवहन विभाग के पोर्टल पर अंकित दूरी को ही वास्तविक दूरी मानी जायेगी।

(vii) गति सीमा :-

(क) गति सीमा का पालन :- सभी आवेदक/वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए यह स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है एवं समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-9(i)(m) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) न्यूनतम गति सीमा का पालन :- कतिपय बस मालिकों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बसों का परिचालन किया जाता है एवं उसी के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन कराया जाता है। बसों का काफी धीमी गति से परिचालन करने से यात्रियों को असुविधा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि यात्रीगण को पूर्व से यह पता नहीं होता है कि अमूक बस कितने समय में उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी। बस में बैठने के पश्चात् उनको पता चलता है कि इस बस का परिचालन काफी धीमी गति से किया जा रहा है, जिससे उनको अपने किसी कार्य हेतु निर्धारित समय अवधि पर पहुँचने में विलंब होने के साथ-साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर ऐसी स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए प्राधिकार द्वारा बसों की न्यूनतम गति सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:-

1. **MMPPY बस:-** 10 कि०मी०/घंटा
2. **सामान्य बस:-** 20 कि०मी०/घंटा

नोट:- (1) सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओं के मध्य दूरी 5 कि०मी० या उससे कम हो तब उस पड़ाव बिंदुओं के मध्य न्यूनतम गति सीमा 15 कि०मी०/घंटा अनुमान्य किया जा सकेगा।

(2) सामान्य बस की स्थिति में यदि किसी पड़ाव बिंदुओं के मध्य आम तौर काफी भीड़-भाड़ रहती हो या उस सड़क की स्थिति के अनुसार 20 कि०मी०/घंटा से अधिक तेज चलाने पर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में 20 कि०मी०/घंटा से कम गति होने पर भी प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में 15 कि०मी०/घंटा से कम गति होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकार की बैठक दिनांक-30.11.2024 में कतिपय वाहन स्वामियों का आवेदन समय अंतराल त्रुटिपूर्ण भरे जाने के कारण अस्वीकृत हो गया था। क्योंकि समय अंतराल में सुधार करने के पश्चात् पाया गया कि कतिपय आवेदनों के समय-सारणी में अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। इस क्रम में आयुक्त-सह-अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा दिनांक-03.12.2024 को उपस्थित वाहन स्वामियों के साथ बैठक आयोजन किया गया, जिसमें समय अंतराल को सही तरीके से भरने एवं आवेदन के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न करने, आदि बिंदुओं पर प्रशिक्षण दी गयी। इसके बावजूद भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा समय अंतराल को सही तरीके से नहीं अंकित किया जा रहा है, जिसमें सुधार करने के पश्चात् पाया जा रहा है कि आवेदित समय-सारणी में या तो अधिकतम गति सीमा का या फिर न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। दोनों ही स्थिति में उनके आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं।

अतः वाहन स्वामियों को निदेशित किया जाता है कि यदि गति सीमा के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध भी नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

7. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं, जिसकी जानकारी विस्तार से दी जा रही है:-

(i) परमिट हेतु निर्णय सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति/भिन्नता, विशेष कर पोर्टल में दर्ज समय-सारणी एवं हार्ड कॉपी में दर्ज समय-सारणी में विसंगति/भिन्नता पाये जाने पर परमिट हेतु दी गई स्वीकृति को अस्वीकृत माना जायेगा एवं नियमानुसार आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।

(ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाती है, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगमता से प्राप्त हो सके, यथा-मार्गवार सभी बसों की समय-सारणी, बैठक की सूचना, एजेण्डा, बैठक की कार्यवाही इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का Sample भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात् निर्गत परमिट को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

(iv) आवेदन एवं एजेण्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

(v) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जायेगा।

(vi) शिकायत हेतु E-mail :- यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो E-mail id- rtasaranbihar@gmail.com पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।

(vii) बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

(viii) समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया गया है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
1.	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में।	पत्रांक-188, दिनांक-14.09.2024	हिन्दुस्तान	20.09.2024
2.	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में। साथ ही 167 प्रमादी वाहनों को भेजे गये नोटिस के संबंध में।	पत्रांक-380, दिनांक-04.10.2024	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	10.10.2024
3.	प्रमादी वाहनों का परमिट रद्द करने के संबंध में।	पत्रांक-528, दिनांक-15.11.2024	दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	16.11.2024
4.	ऑफलाईन परमितों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इंट्री के संबंध में।	पत्रांक-529, दिनांक-15.11.2024	द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	19.11.2024 20.11.2024
5.	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक-48, दिनांक-29.03.25	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	04.04.2025
6.	परमिट से आवृत्त 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों के परमिट प्रतिस्थापन के संबंध में।	पत्रांक-148, दिनांक-30.04.25	हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण	03.05.2025
7.	फर्जी बीमा कराकर बस का परिचालन करने के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।	—	हिन्दुस्तान	25.05.2025

8. सामान्य निदेश:-

(i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :- उन सभी बसों को जिनके परमिट मुजफ्फरपुर प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है। अधिकतर परमिटधारी इस शर्त का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

किसी भी आवेदक या ग्रुप के वाहन का पूर्व में निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाता है तो प्रति लंबित वाहन पर 5000=00 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जायेगा एवं भविष्य में उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)

(ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :- जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड, समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड, समूह/बैनर के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों

द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। वैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन ऑनलाईन या काउन्टर नं०-1 पर समर्पित करेंगे।

यदि किसी वाहन का स्टेज कैरेज परमिट किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकार से निर्गत है एवं उसका परिचालन मार्ग बिहार राज्य/इस प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो उस परमिट को भी राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होना/कराया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आसूचना के अनुसार एवं बसों के जाँच के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से परमिट प्राप्त कर बिना प्रतिहस्ताक्षर के ही इस राज्य/सारण प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो कि नियमानुकूल नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन: सभी डी०टी०ओ सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की स्थिति में पुनः परमिट हेतु आवेदन:- यदि किसी वाहन का निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व से धारित परमिट प्रत्यर्पण करने के पश्चात् ही नये परमिट हेतु आवेदन किया जाय। बिना परमिट प्रत्यर्पण किये नये परमिट हेतु आवेदन करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात् भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग में वाहन का परिचालन किया जा रहा है और इस आधार पर जुर्माना के साथ एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करने के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जायेगी। परमिट की प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत होने की स्थिति में छः माह के पूर्व भी परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।

(iv) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी०एल०टी०डी०, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर एवं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/लिपिक/ऑपरेटर)

(v) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इससे विद्युत तार से सम्पर्क होने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि इस तरह के मामले की जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। CCTV footage/Toll Plaza के प्रतिवेदन के आधार पर भी जुर्माना/कार्रवाई की जा सकती है।

कतिपय वाहन स्वामी स्टेज कैरेज (पाँच वर्ष) का परमिट प्राप्त कर स्कूल बस में परिचालित करते हैं एवं टाईम स्लॉट घेर कर रखते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। प्राधिकार की बैठक

दिनांक-30.12.2024 में ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था, जिसका परमिट रद्द करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया था।

स्टेज कैरेज का परमिट प्राप्त कर यात्री बस के रूप में परिचालन नहीं करना परमिट के शर्तों का उल्लंघन है। शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों की जाँच करायी जायेगी एवं परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

(अनुपालन: सभी डीटीओओ सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(vi) आपत्तिकर्ता का दायित्व :- आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा- टैक्स, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, VLTD इत्यादि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि आपत्तिकर्ता/उनके ग्रुप के किसी भी वाहन के कागजात अद्यतन नहीं है या जुर्माना बकाया है तो ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे। आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के काउन्टर नं०-01 अथवा कार्यालय के ई-मेल- rtasaranbihar@gmail.com पर भेजें, इससे कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय वाहन स्वामी तथ्यात्मक आपत्ति नहीं करते हैं एवं स्वयं के संबंध में कई बिन्दुओं को छुपाकर शिकायत करते हैं। इस क्रम में बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि प्राधिकार की आगामी बैठक से स्वयं के बैनर के अंतर्गत संचालित वाहनों की विवरणी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा पत्र में उल्लेखित करते हुए तथ्यात्मक शिकायत करेंगे एवं शिकायत के संबंध में शिकायत का आधार एवं तत्संबंधी वांछित साक्ष्यों की प्रति भी संलग्न करेंगे, जिससे उनके शिकायत पर विचारोपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। सुलभ प्रसंग हेतु शपथ-पत्र/स्व-घोषणा पत्र एवं आपत्ति आवेदन दाखिल करने संबंधी आवेदन-पत्र का Sample प्रारूप कार्यालय के वेबसाइट पर Sample Document के सेक्शन में सुलभता हेतु Upload कर दी गई है।

नोट:- (1) यथासंभव वाहन स्वामी के तरफ से ही आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा। विशेष परिस्थिति में ही वाहन स्वामी के तरफ से अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल किया जायेगा एवं बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी के तरफ से विधिवत रूप से प्राधिकृत पत्र/एकरारनामा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आपत्ति आवेदन को प्राधिकार द्वारा खारिज किया जा सकता है।

(2) आवेदित मार्ग से भिन्न मार्ग पर समय टकराव के बिंदू पर आपत्ति करने की स्थिति में आपत्तिकर्ता अपने जिस वाहन से आपत्ति कर रहे हैं, वे उस परमिट के मार्ग का नक्शा अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे, ताकि स्पष्टता से जाँच की जा सके कि आवेदित मार्ग एवं आपत्तिकर्ता के परमिट का मार्ग एक-दूसरे को कितना प्रतिशत आच्छादित कर रही है, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्राधिकार की बैठक में यह संज्ञान में आया है कि कई आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं के परमिट से आपत्ति न देकर किसी अन्य के परमिट से आपत्ति दे देते हैं, जिसमें कई तरह की विसंगतियाँ पायी जाती है और कई बार उक्त वाहन स्वामी द्वारा लिखित रूप से कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जाता है कि उक्त आपत्ति उनके द्वारा समर्पित नहीं की गई है। इसलिए प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपत्तिकर्ता स्वयं के वाहन से ही आपत्ति देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं छद्मनाम से आपत्ति देने वाले

व्यक्ति/वाहन स्वामी की जाँच कर उनके उपर जुर्माना के साथ विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) यह भी देखा जा रहा है कि आपत्तिकर्ता द्वारा केवल मुजफ्फरपुर प्राधिकार में चलने वाली वाहन के परमिट से सारण प्राधिकार एवं मुजफ्फरपुर प्राधिकार में चलने हेतु दिये गये आवेदन के समय-सारणी पर आपत्ति दर्ज करायी जा रही है, जो उचित नहीं है। इसलिए सारण प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्राप्त होने वाले आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन: संबंधित वाहन स्वामी/संबंधित आपत्तिकर्ता)

9. नये आवेदन :-

(i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :- परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है, परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो तथा कार्यालय अभिलेख के लिए आवश्यक कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना या ई-मेल rtasaranbihar@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। अतएव सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि निम्न कागजातों के साथ आवेदन करेंगे:-

(a) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(b) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(c) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(d) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(e) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैठान क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।

(h) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1)।

(i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(j) मार्ग का वैध नक्शा।

(k) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र अनुलग्नक-2 में) ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।

(l) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

(ii) अपूर्ण आवेदन :- प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं। जैसे:- वाहन की निबंधन संख्या लिखने में, तो कुछ का समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय लिखने में, या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं कराने में या मोटरयान निरीक्षक का प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) संलग्न नहीं करने में, या शपथ-पत्र में बैनर का नाम नहीं लिखने में।

ऐसे मामलों को प्रत्येक लिपिकीय भूल/त्रुटि के लिए 5000/- रुपये की दर से जुर्माना लगाकर उनके आवेदन पर विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

चूंकि अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय-सारणी एवं अन्य बिन्दुओं की सही जानकारी प्रतिद्वंदी अथवा पूर्व परमिटधारी नहीं हो पाने के कारण उचित आपत्ति देने एवं सही तथ्यों की जानकारी नहीं रहने पर कार्यालय से भी गलती होने की संभावना रहती है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पर जुर्माना लगाते हुए विचार करने का निर्णय प्राधिकार द्वारा आवेदकों को त्रुटिरहित आवेदन के लिए प्रेरित करने एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। यह सिर्फ एक विकल्प होगा, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहें तो वे पुनः नियमानुसार एवं विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं तथा जो आवेदक जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष R0041001020014-00-03 में जमा कराकर कार्यालय में विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र के साथ सूचना देंगे। तत्पश्चात् परमिट निर्गत किया जाएगा।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन एवं अन्य साक्ष्य को संलग्न नहीं किया जायेगा। ऐसे अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) आवेदक/आपत्तिकर्ता या उनके बैनर के तहत संचालित वाहनों पर जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन/आपत्ति करने पर अतिरिक्त जुर्माना :- यदि किसी आवेदक/आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया जायेगा तो लंबित जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000/- रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा लिया गया है, ताकि वाहन स्वामी अपने वाहन पर बकाये जुर्माना एवं टैक्स ससमय जमा करने हेतु प्रेरित होंगे।

यदि जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है अथवा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः बस मालिकों से अनुरोध है कि यदि आपके गुप/बैनर के किसी वाहन पर पूर्व से अधिरोपित जुर्माना बकाया है, तो बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही नये परमिट हेतु आवेदन करें एवं यदि आवेदन करने के पश्चात् आपके गुप/बैनर के किसी वाहन पर जुर्माना अधिरोपित हो जाता है तो उसे क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पहले निश्चित रूप से जमा कर दें।

(iv) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन के स्वामी या आपत्तिकर्ता स्वयं अपने वैध पहचान पत्र के साथ भाग लेंगे। कई वाहन स्वामी अन्य आवेदकों के लिए आवेदन/आपत्ति देते हैं या बैठक में पक्ष रखते हैं, जो उचित नहीं है।

(v) कार्यवाही में अंकित एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी वाहनों के कागजात की जाँच करना:- संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डल अंतर्गत को निदेश है कि प्राधिकार की कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों एवं अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों के सभी कागजातों यथा-टैक्स, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, VLTD, परमिट आदि की

जोचकर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा सभी कागजात अद्यतन करवाना सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यवाही में अंकित वाहनों के साथ-साथ अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित होने वाले सभी वाहनों की कागजातों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो एवं कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

(vi) कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय में ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या-1 पर आवेदन समर्पित करेंगे। यदि किसी कार्यालय कर्मी के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आर0टी0ए0 रायिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(vii) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से ही कार्यालय अभ्युक्ति :- मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय का टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।

(viii) यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट को निर्गत किया जाना :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार-पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का VLTD रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें, जिससे कि यात्रीगणों को सुविधा मिल सके।

(ix) फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :- फर्जी बीमा के आधार पर वाहन का संचालन करना BNS के तहत गंभीर आपराधिक कृत्य है एवं MV Act, 1988, CMV Rule, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही यात्रीगणों को दुर्घटना की स्थिति में कोई मुआवजा/लाभ भी देय नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन का परमिट रद्द करने के साथ-साथ संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(x) बैठक के तिथि से दो दिन पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :- वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि वे परमिट जिसके टाईम स्लॉट से किसी आवेदित वाहन के टाईम स्लॉट से टकराव हो रहा हो एवं उस परमिट को वे प्रत्यर्पित करना चाहते हैं, तो वे ऐसे परमिट को प्राधिकार की बैठक की तिथि से दो दिन पूर्व तक कार्यालय में प्रत्यर्पित कर सकते हैं, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जा सके, अन्यथा उक्त अवधि के बाद परमिट प्रत्यर्पण करने पर प्रत्यर्पित परमिट के टाईम स्लॉट को रिक्त नहीं मानते हुए आवेदित वाहन के परमिट पर विचार किया जायेगा।

(xi) दो पड़ावों के बीच दूरी :- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकार के पूर्व निर्णय के अनुसार विभागीय पोर्टल में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाता है। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में प्रतिवाद/आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर यदि आवश्यक हुआ तो विभाग को पोर्टल में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा। तत्पश्चात् यदि किसी मार्ग की दूरी में विभाग द्वारा सुधार किया जाता है, तो यह दूरी विभाग द्वारा पोर्टल में सुधार के बाद की तिथि से प्राप्त आवेदन के लिए मान्य होगी।

इस संबंध में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से पुनः अनुरोध किया गया कि यदि किसी मार्ग की दूरी में भिन्नता हो या दूरी के संबंध में कोई शिकायत हो तो उस मार्ग का नाम, भाया एवं मार्ग की संख्या सहित उस मार्ग का नक्शा संलग्न कर सुधार हेतु प्राधिकार को आवेदन समर्पित करें। उस आवेदन के आलोक में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच करायी जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय पोर्टल में पूर्व से दर्ज दूरी में अपेक्षित सुधार हेतु अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी।

(xii) High Security Registration Plate :- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदित वाहनों/आपत्तिकर्ता के वाहनों में H.S.R.P. लगे नहीं होने के कारण जुर्माना के शर्त पर परमिट स्वीकृत किया गया है। अतः सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि अपने वाहन में H.S.R.P. लगवा लें एवं ऑनलाईन भी अपडेट करा लें।

कतिपय वाहनों में स्थानीय दुकानों/फुटपाथों पर स्थापित दुकानों द्वारा मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिया जाता है, जिसके कारण E-Challan निर्गत होने पर पता चलता है कि जिस वाहन का चालान निर्गत किया गया है, वह किसी अन्य स्थान पर है। फर्जी निबंधन प्लेटों/नंबर प्लेटों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी बसों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(xiii) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है। MMPPY योजना के तहत प्राप्त बसों के मालिकों से अनुरोध है कि वे योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही परिचालन हेतु आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

10. अन्योन्य :-

(i) परमिट की प्रति वाहन पर चस्पा करने के संबंध में :- प्राधिकार की बैठकों में प्रायः यह देखा गया है कि वाहन स्वामी एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि अमूक व्यक्ति द्वारा अपने वाहन का परिचालन मेरे समय-सारणी के पहले/आगे-आगे कराते हैं एवं मना करने पर कहते हैं कि इस टाईम का परमिट मुझे प्राप्त है तथा परमिट की प्रति दिखाने को कहने पर परमिट की प्रति नहीं दिखाते हैं, जिससे वाहन स्वामियों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं।

उपरोक्त के मददेनजर सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वे अपने वाहन के परमिट की छायाप्रति वाहन के अंदर से उचित स्थान पर यथा-window glass आदि पर पठनीय भाग बाहर की ओर करके चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अन्य वाहन स्वामी के साथ-साथ यात्रीगण भी उस बस के समय-सारणी को देख सकें। इससे वाहन स्वामियों के बीच इस बिंदु पर आपसी विवाद उत्पन्न नहीं होगा तथा यात्रीगणों को भी समय की दृष्टिकोण से यात्रा करने में सुविधा होगी।

यदि चर्या किये गये परमिट की प्रति किसी के द्वारा नुकसान कर दिये जाने या किसी तरह क्षतिग्रस्त होने या अपठनीय होने की स्थिति में समय-सारणी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद से प्रभावित होने वाले परमिटधारी को दूसरे वाहन के परमिट को देखने का अधिकार होगा।

(ii) नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा। पुनः इस बैठक में उपस्थित सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि यदि कोई महत्वपूर्ण मार्ग अधिसूचित कराना रह गया हो तो इस आशय का आवेदन प्राधिकार को समर्पित करें।

(iii) विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन :- सभी मोटरयान निरीक्षक, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का भौतिक जाँच/सत्यापन हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है तो नियमानुसार आवेदित वाहन का निरीक्षण/भौतिक जाँच कर वस्तु स्थिति की सूचना विहित प्रपत्र में अंकित करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) दूसरे राज्य में बकाये जुर्माना के संबंध में विकल्प/प्रावधान :- प्राधिकार की विभिन्न बैठकों में बकाये जुर्माने के संबंध में प्रायः यह वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके वाहन पर बकाया जुर्माना अन्य राज्य यथा-उत्तर प्रदेश, आदि राज्य से संबंधित है, जहाँ उनके जुर्माना से संबंधित मामला न्यायालय में चला गया है, जिस कारण उनका जुर्माना शीघ्र/ऑनलाईन माध्यम से जमा नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में उपस्थित वाहन स्वामी श्री अवधेश प्रसाद, पिता-स्व0 वशिष्ठ प्रसाद, ग्राम-विशुनपुर, थाना-महाराजगंज, जिला-सिवान द्वारा बताया गया कि उनके वाहन सं0-BR29M-7375 पर मात्र 500/-रुपये का जुर्माना बकाया है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे जमा करने हेतु वे कई बार न्यायालय जा चुके हैं एवं इस क्रम में जुर्माने की राशि से कई गुना अधिक राशि खर्च कर चुके हैं। फिर भी उक्त जुर्माना अबतक जमा नहीं हो पाया है। इस बकाये जुर्माने के कारण उनके वाहन का फिटनेस भी अद्यतन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उक्त वाहन का परमिट भी रद्द हो गया। बैठक में दानी मौर्यध्वज बैनर के तरफ से उपस्थित श्री बिरेन्द्र राय द्वारा भी बताया गया कि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन पर बकाया राशि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जहाँ इनका मामला भी न्यायालय में चला गया है, जिस कारण ऑनलाईन माध्यम से अथवा शीघ्र जमा नहीं हो पायेगा।

चूँकि प्राधिकार द्वारा वैसे वाहन स्वामियों, जो सरकार का राजस्व/जुर्माना बकाया रखकर अपने वाहन का परिचालन करते हैं, को प्रोत्साहित नहीं करने एवं बकाया जुर्माना ससमय जमा करने हेतु प्रेरित करने के दृष्टिकोण एवं उद्देश्य से परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाती है अथवा पूर्व से बकाये टैक्स/जुर्माना जमा करने के साथ अतिरिक्त जुर्माना के शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जाती है। उपरोक्त स्थिति/प्रावधान के कारण कई बार कतिपय वाहन स्वामी परमिट से वंचित रह जाते हैं।

प्राधिकार की बैठक दिनांक-27.02.2025 में उपस्थित कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा कहा गया कि "हमलोग उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य में या न्यायालय में लंबित है, को यहाँ की शीर्ष में जमा करने के लिए तैयार हैं। कृपया बकाये जुर्माना की राशि यहाँ की शीर्ष में जमा कराकर परमिट की स्वीकृति दिया जाय।"

अतः उपरोक्त के मद्देनजर एवं वाहन स्वामियों के अनुरोध के आलोक में प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

(क) वाहन स्वामी यदि चाहें तो उतनी राशि, जितनी अन्य राज्य के न्यायालय में लंबित है, जो शीघ्र जमा नहीं हो पा रहा है, को Tax Receipt शीर्ष R0041001020014-00-03 में अपने स्वेच्छा से एक शपथ-पत्र के साथ जमा करते हैं, तो परमिट की स्वीकृति एवं निर्गमन की जा सकेगी, परन्तु शपथ-पत्र इस आशय का संलग्न होना अनिवार्य होगा कि अमूक राशि अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण अपने स्वेच्छा से परमिट प्राप्त करने हेतु उक्त राशि जमा कर रहा हूँ/कर रही हूँ एवं जमा की गई उक्त राशि वापस लेने हेतु भविष्य में कभी दावा नहीं करूँगा/करूँगी तथा अमूक राज्य के न्यायालय में विचाराधीन जुर्माना भी जब जमा होगा, तब जमा कर दूँगा/कर दूँगी।

(ख) जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी एवं अमूक राज्य में/अमूक राज्य के न्यायालय में लंबित जुर्माने की राशि से मुक्ति नहीं होगी। यानि बकाया राशि भविष्य में उस राज्य/ न्यायालय में भी जमा करना होगा।

(ग) उपरोक्त प्रावधान सिर्फ वैकल्पिक होगा। आवेदक यदि चाहें तो उक्त विकल्प को नहीं मानकर बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् पुनः परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(व) नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का अवैध परिचालन करने संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में :- विभिन्न स्रोतों से एवं प्राधिकार की बैठक में भी कतिपय आवेदकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के निबंधन संख्या वाले कुछ वाहनों को सारण प्रमंडल अंतर्गत विभिन्न मार्गों यथा-सारण, सिवान, गोपालगंज से रौंछी, टाटा, बोकारो (झारखंड), दिल्ली के मार्गों पर अवैध ढंग से परिचालन किया जा रहा है। इन बसों के पास न तो परमिट होते हैं और न ही इनके कागजात यथा-टैक्स, बीमा, आदि अद्यतन होते हैं।

बिना परमिट एवं बिना अद्यतन कागजातों के किसी भी वाहन का परिचालन करना नियमाकूल नहीं है। यदि ऐसे वाहनों का परिचालन सारण RTA के क्षेत्र में किया जा रहा है तो उसकी जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करते हुए उसके परिचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं RTA, सचिव को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त में वर्णित शिकायतों के आलोक में अपने टीम के साथ उपरोक्त तथ्यों की जाँच करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत ऐसे किसी वाहन, जिसके पास वैध परमिट एवं वैध कागजात न हो, का परिचालन नहीं किया जा रहा है।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

अपर समाहर्ता, सारण (सजस्व)
-सह-
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....157...../ सारण, दिनांक.....24/07/2026

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परि० प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक

दिनांक-24.07.2026 की कार्यवाही।

समय:- अपराह्न 03:00 बजे।

स्थान:- आयुक्त कार्यालय सभागार (हाईब्रिड मोड)।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक-24.07.2026 की कार्यावली की विवरणी:-				पृष्ठ सं०
कार्यावली सं०-01	1	गत बैठक दिनांक-23.06.2026 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	परिशिष्ट-I	
कार्यावली सं०-02		प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।		
	(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1-28 दिन तक)		
	(ii)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची।		
	(iii)	स्थायी सवारी गाड़ी के प्रतिस्थापित किये गए परमिटों की सूची।		
	(iv)	स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची।		
	(v)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या।		
कार्यावली सं०-03	(i)	बसों के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज परमिट) निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट-I	
	(ii)	अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पूर्व से लंबित आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट-	

परिशिष्ट-I

कार्यावली सं०-01	
गत बैठक दिनांक-23.06.2026 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	अनुपालन हो रहा है।
कार्यावली सं०-02(i-v)	
प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची, दिनांक-23.06.2026 से 23.07.2026 तक।	
(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1-28 दिन तक) -35
(ii)	सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची-00
(iii)	स्थायी सवारी गाड़ी के प्रतिस्थापित किये गए परमिटों की सूची- 00
(iv)	स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गए परमिटों की सूची-02
(v)	प्राप्त आवेदन के आलोक में स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट प्रत्यर्पण की संख्या-05

कार्यावली संख्या-3(i) बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु दिनांक-01.07.26 से 07.07.26 तक प्राप्त आवेदनों एवं आपतियों पर विचारणः

प्राप्त आवेदनों की विवरणी				प्राप्त आपति से संबंधित विवरणी		कार्यालय स्तर पर की गई समीक्षा की विवरणी		
क्रं 0 सं 0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	आपति	आपतिकर्ता के वाहन की विवरणी	कार्यालय का तथ्य	कार्यालय तथ्य में वर्णित वाहन की विवरणी	निर्णय
1	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता- श्री राम ऐकवाल पाण्डेय, ग्राम- पूर्वी पकड़ी, थाना- डुमरिया घाट, जिला-पूंचम्पारण बैनर का नाम- आलोक बस सर्विस	BR01PR-3359 नि0तिथि 20.03.17 टैक्स-12.08.26 फिट0-12.08.26 बीमा-31.12.26 प्रदूषण-07.10.26 VLTD-23.12.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	मोतिहारी-सिवान मार्ग सं0-4077 मोतिहारीप्र0-05:42 सिवान प्र0-09:06 मोतिहारीप्र0-15:13 सिवान प्र0-18:27	आपतिकर्ता-श्री देवेन्द्र कुमार, पिता-धुवनाथ प्रसाद, परमिट सं0- ---- आवृत वाहन सं0- BR05PC-0553 मार्ग-, मार्ग सं0- आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक पर इनके उपर छपरा प्राधिकार से FIR No-459/25 दर्ज है, छपरा न्यायालय से बेल रिजेक्ट है और पटना हाईकोर्ट से भी बेल रिजेक्ट है।	BR05PC-0553 नि0ति0-04.06.26 टैक्स-03.09.26 फिट0-03.06.28 बीमा-03.06.27 प्रदूषण-03.06.27 VLTD-30.07.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-03.01.2026 को निर्गत है। आवेदक को मान0 न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा से दि0-04.07.26 को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है।		आपति के आलोक में स्पष्ट करना है कि आवेदक को मान0 न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा से दि0-04.07.26 को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है, जिसका साक्ष्य एवं शपथ-पत्र भी उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त के आलोक में परमिट स्वीकृत।
2	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता- श्री राम ऐकवाल पाण्डेय, ग्राम- पूर्वी पकड़ी, थाना- डुमरिया घाट, जिला-पूंचम्पारण बैनर का नाम- आलोक बस सर्विस	BR05PB-8547 नि0ति0-31.05.25 टैक्स-27.08.26 फिट0-31.05.27 बीमा-27.05.27 प्रदूषण-29.05.27 VLTD-29.06.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं0-2199 सिवान प्र0-05:23 मोतिहारीप्र0-08:43 सिवान प्र0-13:18 मोतिहारीप्र0-17:19 सिवान प्र0-20:52 मोतिहारीप्र0-01:17	आपतिकर्ता-श्री देवेन्द्र कुमार, पिता-धुवनाथ प्रसाद, परमिट सं0- ---- आवृत वाहन सं0- BR05PC-0553 मार्ग-, मार्ग सं0- आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक पर इनके उपर छपरा प्राधिकार से FIR No-459/25 दर्ज है, छपरा न्यायालय से बेल रिजेक्ट है और पटना हाईकोर्ट से भी बेल रिजेक्ट है।	BR05PC-0553 नि0ति0-04.06.26 टैक्स-03.09.26 फिट0-03.06.28 बीमा-03.06.27 प्रदूषण-03.06.27 VLTD-30.07.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-04.12.2025 को निर्गत है।		आपति के आलोक में स्पष्ट करना है कि आवेदक को मान0 न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा से दि0-04.07.26 को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है, जिसका साक्ष्य एवं शपथ-पत्र भी उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अतः उक्त के आलोक में परमिट स्वीकृत।

3	श्री देवेन्द्र कुमार पिता-धुवनाथ प्रसाद, पता-भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम- NRA गुड़िया।	BR06GC-9747 नि0तिथि-09.04.16 टैक्स-08.10.26 फिटनेश-18.09.26 बीमा-06.09.26 प्रदूषण-28.07.26 VLTD-23.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं0-2199 सिवान प्र0-06:32 मोतिहारीप्र0-10:02 सिवान प्र0-14:59 मोतिहारीप्र0-18:24	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-09.12. 2025 को निर्गत है।	स्वीकृत।
4	श्री देवेन्द्र कुमार पिता-धुवनाथ प्रसाद, पता-भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम- NRA गुड़िया।	BR05PC-0553 नि0तिथि-15.12.25 टैक्स-14.06.26 फिट0-14.12.27 बीमा-29.12.26 प्रदूषण-15.12.25 VLTD-15.01.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं0-2199 सिवान प्र0-01:25 मोतिहारीप्र0-04:30 सिवान प्र0-07:09 मोतिहारीप्र0-10:30 सिवान प्र0-14:46 मोतिहारीप्र0-17:48	(1) आपत्तिकर्ता-श्री नीकू कुमार, पिता-शिव कुमार साह, परमिट सं0- BR2023-SC-0571A आवृत वाहन सं0-BR28P-1645, मार्ग-छपरा-मोतिहारी, मार्ग सं0-3972डा0 आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है :- आवेदक मोतिहारी प्र0-10:30 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0-10:29 अंतराल-01 मिनट (2) आपत्तिकर्ता-श्री रघुनाथ यादव, पिता-स्व0 रामाश्रय सिंह, परमिट सं0- --आवृत वाहन सं0-BR28L-9797, मार्ग-, मार्ग सं0-.... आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है :- आवेदक मोतिहारी प्र0-04:30 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0-04:29 अंतराल-01 मिनट (आपत्तिकर्ता का प्राधि0 की बैठक दि0- 23.06.26 को क्रमांक-41 पर आवेदन आवेदित है।)	BR28P-1645 नि0ति0-09.08.19 टैक्स-31.07.26 फिट0-01.09.27 बीमा-17.02.27 प्रदू0-23.08.26 VLTD-20.09.27 जुर्माना-हाँ 2,78,358/- BR28L-9797 नि0ति0-01.09.15 टैक्स-24.08.26 फिट0-05.08.26 बीमा-08.03.27 प्रदू0-23.07.26 VLTD-02.07.27 जुर्माना-हाँ 24000/-	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	(1) प्रथम आपत्तिकर्ता द्वारा बिना हस्ताक्षर का आपत्ति आवेदन दिया गया है तथा आपत्ति परमिट का प्रतिहस्ताक्षर से संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ हीं उक्त आपत्ति वाहन पर वाहन पोर्टल के अनुसार 2,78,358/- रुपये का जुर्माना बकाया है। अतः उक्त के आलोक में यह आपत्ति मान्य योग्य नहीं है तथा जुर्माना बकाया रहने के कारण मो0 10,000/-रु0 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है। (2) द्वितीय आपत्ति के आलोक में उक्त परमिट निर्गत की स्थिति में प्रथम ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।
5	श्री धीरज कुमार पिता-धुवनाथ प्रसाद, पता-भवानीपुर जिरात, मोतिहारी। बैनर का नाम- NRA गुड़िया।	BR05PB-9515 नि0तिथि-15.12.25 टैक्स-15.07.26 फिट0-22.01.28 बीमा-20.01.27 प्रदूषण-22.01.27 VLTD-18.03.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	मोतिहारी-सिवान मार्ग सं0-4077डा0 मोतिहारीप्र0-02:21 सिवान प्र0-07:43 मोतिहारीप्र0-10:37 सिवान प्र0-13:17 मोतिहारीप्र0-16:15 सिवान प्र0-19:05	आपत्तिकर्ता-श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-राम ऐकवाल पाण्डेय, परमिट सं0- BR2025-SC-3142A आवृत वाहन सं0-BR05PB-8547, मार्ग-गुठनी-रक्सौल, मार्ग सं0-3675 आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है :- आवेदक सिवान प्र0-13:17 आपत्तिकर्ता सिवान प्र0-13:18 अंतराल-01 मिनट साथ ही आपत्तिकर्ता का क्रमांक-02 पर आवेदन आवेदित है तथा आवेदक का परमिट अभी छः माह पहले ही प्रकाशन कराए हैं।	BR05PB-8547 नि0ति0-31.05.25 टैक्स-27.08.26 फिट0-31.05.27 बीमा-27.05.27 प्रदूषण-29.05.27 VLTD-29.06.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-23.06. 2026 को निर्गत है।	आवेदन वापस।

	श्रीमती साधना कुमारी, पिता- श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम-बनटा टोला जंगली गुर्दी, पो- देबवों, थाना- जिला-गोपालगंज। बैनर का नाम- जय बाबा अमरनाथ।	BR04J-1562 नि०तिथि-15.02.11 टैक्स-30.09.26 फिट0-12.04.27 बीमा-09.04.27 प्रदूषण-09.10.26 VLTD-24.12.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मेहरौना पुल-सिवान मार्ग सं०-3696 मेहरौना पुल प्र० -10:20 सिवान प्र०-13:04	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-04.02.2025 को निर्गत है।		स्वीकृत।
7	श्री भुवन भास्कर राय, पिता-दीनानाथ राय, ग्राम- पाण्डेयपार, पो- डुमरहर बुजुर्ग, थाना-गुठनी, जिला-सिवान। बैनर का नाम- आदित्य विनित।	BR04J-3911 नि०तिथि-13.09.11 टैक्स-12.09.26 फिट0-12.04.27 बीमा-19.03.27 प्रदूषण-20.01.27 VLTD-19.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मेहरौना पुल-सिवान मार्ग सं०-3696 मेहरौना पुल प्र० -09:27 सिवान प्र०-12:19	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।		स्वीकृत।
8	श्री अनिल सिंह, पिता-शिवजी सिंह, ग्राम+पो- बरकागाँव, थाना-मीरगंज, जिला-सारण। बैनर का नाम- वैष्णो।	BR06PB-2132 नि०तिथि-05.07.12 टैक्स-04.10.26 फिट0-11.11.26 बीमा-20.01.27 प्रदूषण-20.09.26 VLTD-03.06.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	बसन्तपुर-सिवान मार्ग सं०-3980डा० बसन्तपुर प्र० -05:55 सिवान प्र०-08:45 बसन्तपुर प्र०-10:55 सिवान प्र०-14:42	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।		स्वीकृत।
9	श्री कन्हैया प्रसाद, पिता-सिताराम प्रसाद, ग्राम+पो+ थाना-बसंतपुर, जिला-सिवान बैनर का नाम- सुपर संतोष।	BR29PA-9183 नि०तिथि-04.04.21 टैक्स-01.10.26 फिट0-28.01.28 बीमा-11.01.27 प्रदूषण-16.01.27 VLTD-12.02.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	दिघवा दुबौली -सिवान मार्ग सं०-3980डा० दिघवा दुबौली प्र० -06:20 सिवान प्र०-10:20 दिघवा दुबौली प्र० -12:02 सिवान प्र०-16:03	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।		स्वीकृत।

10	श्री सत्यदेव चौधरी, पिता-बैजनाथ चौधरी, ग्राम- मरहियां, पो- मीर मुसेहरी, थाना- छपरा मुफ्फसील, जिला-सारण। बैनर का नाम- शिव शक्ति।	BR04PA-9490 नि०तिथि-10.04.26 टैक्स-08.07.27 फिट०-08.04.28 बीमा-14.01.27 प्रदूषण-09.04.27 VLTD-30.04.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	सतजोड़ा-छपरा मार्ग सं०-3691 सतजोड़ाप्र०-06:05 छपरा प्र०-10:00 सतजोड़ाप्र०-11:50 छपरा प्र०-13:44 सतजोड़ाप्र०-15:10 छपरा प्र०-16:40	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
11	श्री अमरनाथ कोहली, पिता- विध्या भुषण प्रसाद कोहली, ग्राम- सुतिहार, थाना- दरियापुर, जिला- सारण। बैनर का नाम- शांतिदूत।	BR04E-9877 नि०तिथि-28.08.08 टैक्स-31.07.26 फिट०-11.11.26 बीमा-25.08.26 प्रदूषण-24.10.26 VLTD-23.10.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	डेरनी-छपरा मार्ग सं०-4034 डेरनी प्र०-07:55 छपरा प्र०-13:40	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
12	श्री हिमांशु राज, पिता- रामजी राय, ग्राम- दहियावाँ टोला, पो-छपरा, थाना-नगर थाना जिला- सारण। बैनर का नाम- रामदूत।	BR04J-0586 नि०तिथि-11.12.10 टैक्स-31.07.26 फिट०-02.05.27 बीमा-06.08.26 प्रदूषण-28.07.26 VLTD-20.04.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	छपरा-मशरख मार्ग सं०-2164 छपरा प्र०-05:20 मशरख प्र०-10:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
13	श्री सुन्दरम, पिता-प्रमोद कुमार सिंह, झखरा, पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- रमणा।	BR05PC-0659 नि०तिथि-17.06.26 टैक्स-11.09.26 फिट०-16.06.28 बीमा-11.06.27 प्रदूषण-16.06.27 VLTD-14.07.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं०-2199 सिवान प्र०-02:22 मोतिहारीप्र०-04:59 सिवान प्र०-10:29 मोतिहारीप्र०-15:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।

	श्री अजय पाण्डेय, पिता-रामानंद पाण्डेय, बंगरी पिपरा कोठी, पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- रमणा।	BR05P-5947 नि0तिथि-01.03.12 टैक्स-31.08.26 फिट0-20.04.27 बीमा-28.02.27 प्रदूषण-02.09.26 VLTD-22.10.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मोतिहारी-सिवान मार्ग सं0-4077डा0 मोतिहारीप्र0-11:30 सिवान प्र0-15:28	आपत्तिकर्ता-श्री धनंजय सिंह, पिता-मोगल सिंह, परमिट सं0- BR2023-SC-0584A आवृत वाहन सं0-BR06PD-0564, मार्ग-छपरा-मोतिहारी, मार्ग सं0-3972डा0 आपत्तिकर्ता का आपति निम्नवत है :- आवेदक मोतिहारी प्र0-11:30 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0-11:29 अंतराल-01 मिनट साथ ही एक अन्य वाहन से समय-सारणी समान है। आवेदक सिवान प्र0-15:28 वा0सं0-BR05PB-9510 सिवान प्र0-15:28 अंतराल-00 मिनट। गोपालगंज, मोहम्मदपुर, खजुरिया में भी सेम समय है।	BR06PD-0564 नि0ति0-20.07.16 टैक्स-29.09.26 फिट0-21.07.27 बीमा-19.07.27 प्रदू0-01.10.26 VLTD-12.08.27 जुर्माना-हों 116950/-	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज0 प्राधिकार से दिनांक-02.03. 2023 को निर्गत है।	आपत्तिकर्ता द्वारा वाहन सं0-BR06PD-0564 का प्रतिहस्ताक्षरित परमिट उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए मोतिहारी में टकराव के बिंदु पर आपति विचारणीय नहीं है, परन्तु वाहन सं0- BR05PB- 9510 के समय-सारणी से सिवान में टकराव के कारण परमिट आवेदन अस्वीकृत। साथ ही आपत्तिकर्ता के वाहन पर पूर्व का जुर्माना बकाया रहने के कारण मो0 10,000/-रु0 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है।
15	श्री धर्मेन्द्र राय, पिता-भरत राय, ग्राम-डुमरहर बुजुर्ग पो0-डुमरहर खुर्द, थाना-दरौली, जिला-सिवान। बैनर का नाम- जय सिया राम TR	BR29M-5341 नि0तिथि-09.05.13 टैक्स-11.07.26 फिट0-24.06.27 बीमा-26.02.27 प्रदूषण-23.06.27 VLTD-29.04.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मेहरौना-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-07:15 सिवान प्र0-08:30 मेहरौना प्र0-09:35 सिवान प्र0-11:23 मेहरौना प्र0-12:25 सिवान प्र0-13:49 मेहरौना प्र0-14:39 सिवान प्र0-16:05	आपत्तिकर्ता-श्री बबलु राय, पिता-दीनानाथ राय, परमिट सं0- BR2026-SC-1015A आवृत वाहन सं0-BR29PB-1918 मार्ग- मेहरौना-सिवान, मार्ग सं0-3696 आपत्तिकर्ता का आपति निम्नवत है:- आवेदक आपत्तिकर्ता (प्रथम खेप) (प्रथम खेप) (क) मेहरौना प्र0- 07:15 07:12 (ख) सिवान प्र0- 08:30 08:23 (ग) मेहरौना प्र0- 09:35 09:21आ0	BR29PB-1918 नि0ति0-21.02.26 टैक्स-24.08.26 फिट0-20.02.28 बीमा-30.01.27 प्रदू0-20.02.27 VLTD-05.04.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-04.03. 2025 को निर्गत है।	आपति के आलोक में जाँच की गई, जाँच के क्रम में स्पष्ट हुआ कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित दो वाहनों के बीच समय अंतराल का अनुपालन किया जा रहा है। अतः उक्त के आलोक में परमिट स्वीकृत।
16	श्री मुन्ना सिंह, पिता-हरिशंकर सिंह, ग्राम-बड़हरा, पो0+थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज। बैनर का नाम- राज ट्रेवल्स।	BR7P-2973 नि0तिथि-13.01.10 टैक्स-30.09.26 फिट0-07.12.26 बीमा-05.12.26 प्रदूषण-08.12.26 VLTD-20.12.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	जगदीशपुर- गोपालगंज मार्ग सं0-3860 जगदीशपुर प्र0 -06:04 गोपा0 प्र0-13:47	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
17	श्री राकेश सिंह, पिता-बच्चा सिंह, ग्राम-जोगिराहा, पो0-अक्षवर पिपरा, सिधवलिया, गोपालगंज। बैनर का नाम- मुकेश ट्रेवल्स।	BR28P-4808 नि0तिथि-25.03.26 टैक्स-19.09.26 फिट0-24.03.28 बीमा-19.03.27 प्रदूषण-24.03.27 VLTD-21.05.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मशरख-गोपालगंज मार्ग सं0-3860 मशरख प्र0-04:50 गोपा0 प्र0-07:05 मशरख प्र0-09:03 गोपा0 प्र0-12:57	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।

18	श्री मिथलेश कुमार, पिता-स्व० जलेश्वर राय, ग्राम+पो०- दहियावॉ टोला, थाना-नगर छपरा, जिला-सारण। बैनर का नाम- जय बाबा बैधनाथ	BR04G-6325 नि०तिथि-10.04.10 टैक्स-31.08.26 फिट०-05.07.27 बीमा-02.07.27 प्रदूषण-01.07.27 VLTD-02.07.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	मशरख-छपरा मार्ग सं०-2164डा० मशरख प्र०-16:25 छपरा प्र०-19:25	आपतिकर्ता-श्री अरुण कुमार सिंह, पिता-बलबीर सिंह, परमिट सं०- ----- आवृत वाहन सं०-BR04PA -9742 मार्ग- बंगराघाट-छपरा, मार्ग सं०-4004 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है:- आवेदक आपतिकर्ता (प्रथम खेप) (तीसरा खेप म०बि०) मशरक प्र०- 16:25 16:29 अंतराल-04 मिनट। साथ ही आवेदक के नाम से अन्य वाहन सं०-BR04E-4725 का बीमा फेल है एवं BR04E-4925 का फिटनेश फेल है।	BR04PA-9742 नि०ति०-06.06.26 टैक्स-04.09.26 फिट०-04.06.28 बीमा-21.02.27 प्रदू०-05.06.27 VLTD-22.05.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-19.08.2020 को निर्गत है। वाहन सं० - BR04E-4725 एवं BR04E-4925 सभी कागजात अद्यतन है।	आपति के आलोक में जॉच की गई, जिससे पाया गया कि दो वाहनों के बीच में प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अंतराल का अनुपालन हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में परमिट स्वीकृत।
19	श्री अजीत कुमार सिंह, पिता- हृदयानन्द सिंह, ग्राम-पुरैना, पो०- राछोपाली, थाना- बडहरिया, जिला- सिवान। बैनर का नाम- पवन ट्रेवल्स।	BR28P-5011 नि०तिथि-07.04.26 टैक्स-25.09.26 फिट०-06.04.28 बीमा-05.04.27 प्रदूषण-06.04.27 VLTD-26.04.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	तेलमापुर-सिवान मार्ग सं०-2164डा० तेलमापुरप्र०-05:50 सिवान प्र०-10:10 तेलमापुरप्र०-12:10 सिवान प्र०-14:15	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।
20	श्रीमती सीमा सिंह, पति-मुन्ना सिंह, सरंगिया टोला, कैरिया, सिवान। बैनर का नाम- मुन्ना डिलक्स।	BR29PB-1865 नि०तिथि-05.02.26 टैक्स-28.07.26 फिट०-04.02.28 बीमा-30.01.27 प्रदूषण-04.02.27 VLTD-31.03.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	महम्मदपुर-छपरा मार्ग सं०-3764 महम्मदपुर प्र०-03:30 छपरा प्र०-06:10 महम्मदपुर प्र०-10:50 छपरा प्र०-16:05 महम्मदपुर प्र०-19:05 छपरा प्र०-22:15	आपतिकर्ता-श्री विनय कुमार चौबे, पिता-विष्णु चौबे, परमिट सं०- BR2022-SC-0937A आवृत वाहन सं०- BR05PB -8442 मार्ग-छपरा-महम्मदपुर, मार्ग सं०-3764 आपतिकर्ता का आपति है कि :- 1. प्रथम खेप में छपरा से महम्मदपुर आने के क्रम में मध्य बिंदू मलमलिया 07:57 में आगमन कर 31 मिनट का हॉल्ट लेकर 08:28 में चल रहे 2. द्वितीय खेप में महम्मदपुर से छपरा जाने के क्रम में मदारपुर 11:15 में पहुँच कर 11:40 में प्रस्थान कर रहे है, जो कि इसमें भी 25 मिनट का हॉल्ट ले रहे हैं। 3. द्वितीय खेप में ही मलमलिया में फिर से 22 मिनट का हॉल्ट है, जो प्रकाशन त्रुटिपूर्ण है।	BR05PB-8442 नि०ति०-05.05.25 टैक्स-29.07.26 फिट०-04.05.27 बीमा-04.05.27 प्रदूषण-17.05.27 VLTD-29.05.27 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	आपति के आलोक में जॉच की गई, जिससे पाया गया कि दो वाहनों के बीच में प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अंतराल का अनुपालन हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में परमिट स्वीकृत।

	रितुल कुमार, पति-राजेन्द्र गिरी, पता-सवरेजी के टोला, हरनवाह, गोपालगंज। बैनर का नाम- मौं धावे भवानी।	BR28P-2198 नि0तिथि-24.02.20 टैक्स-23.08.26 फिट0-26.05.28 बीमा-18.05.27 प्रदूषण-02.08.26 VLTD-22.05.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	दिघवा दुबौली -सिवान मार्ग सं0-4031 दिघवा दुबौली प्र0-06:10 सिवान प्र0-10:30 दिघवा दुबौली प्र0-12:10 सिवान प्र0-14:17 दिघवा दुबौली प्र0-15:40 सिवान प्र0-18:15	आपतिकर्ता-सुनील कुमार दूबे, पिता-स्व0 मनन दूबे, परमिट सं0- BR/109/SC/ 2015/83 आवृत वाहन सं0-BR29R-8535, मार्ग-....., मार्ग सं0- आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :- आवेदक सिवान प्र0-18:15 आपतिकर्ता सिवान प्र0-18:20 अंतराल-05 मिनट साथ ही आवेदक का प्रथम खेप में दिघवादिघौली से सिवान आने में 95 मिनट लगता है, जबकि वापस में 77 मिनट का समय लग रहा है। उसी प्रकार दूसरे खेप में 90 मिनट तथा वापसी में 73 मिनट का समय लग रहा है एवं तीसरे खेप में हरदिया से मलमलिया की दूरी 10 कि0मी0 में 25 मिनट लग रहा है।	BR29R-8535 नि0तिथि-06.11.14 टैक्स-05.02.27 फिट0-14.01.27 बीमा-24.10.26 प्रदूषण-18.08.26 VLTD-02.02.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	आपति के आलोक में जाँच की गई, जिससे पाया गया कि दो वाहनों के बीच में प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अंतराल एवं गति सीमा का अनुपालन हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में परमिट स्वीकृत।
22	सेयद अबूलवाफा, पिता-सैईद अतिउल्लाह, ग्राम-बरहीमा, गोपालगंज। बैनर का नाम- अल वाफा बस सर्विस।	BR28P-8251 नि0तिथि-17.03.26 टैक्स-27.08.26 फिट0-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27 VLTD-30.04.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	दिघवा दुबौली -सिवान मार्ग सं0-4031 दिघवा दुबौली प्र0-06:25 सिवान प्र0-11:15 दिघवा दुबौली प्र0-12:30 सिवान प्र0-16:10 दिघवा दुबौली प्र0-17:25 सिवान प्र0-19:00	आपतिकर्ता-सुनील कुमार दूबे, पिता-स्व0 मनन दूबे, परमिट सं0- BR/109/SC/ 2015/83 आवृत वाहन सं0-BR29R-8535, मार्ग-....., मार्ग सं0-..... आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :- आवेदक सिवान प्र0-11:15 आपतिकर्ता सिवान प्र0-11:30 अंतराल-05 मिनट साथ ही आवेदक का समय दिघवादिघौली से सिवान आने में 102 मिनट लगता है, जबकि वापस में 66 मिनट का समय लग रहा है। उसी प्रकार हरदिया से मलमलिया की दूरी 10 कि0मी0 में 25 मिनट लग रहा है।	BR29R-8535 नि0तिथि-06.11.14 टैक्स-05.02.27 फिट0-14.01.27 बीमा-24.10.26 प्रदूषण-18.08.26 VLTD-02.02.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	आपति के आलोक में जाँच की गई, जिससे पाया गया कि दो वाहनों के बीच में प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अंतराल एवं गति सीमा का अनुपालन हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में परमिट स्वीकृत।
23	सलिमुन निशा, पति-बहारन मियां, ग्राम-बिन्दुसार बुर्जुग, पो0-सिवान, थाना-महादेवा, जिला-सिवान बैनर का नाम- बाबु बिहार।	BR01PD-6941 नि0तिथि-03.12.12 टैक्स-02.09.26 फिट0-17.03.27 बीमा-06.04.27 प्रदूषण-10.03.27 VLTD-19.07.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	सिवान-विशुनपुरा बाजार मार्ग सं0-4009डा0 सिवान प्र0-05:20 विशुनपुरा बाजारप्र0-06:58 सिवान प्र0-09:50 विशुनपुरा बाजारप्र0-11:25 सिवान प्र0-14:20 विशुनपुरा बाजारप्र0-16:40	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।

24	श्री बलवीर सिंह, पिता-जवाहर सिंह, ग्राम+पो0-मटियारी जिला-गोपालगंज बैनर का नाम- अरुण।	BR04N-6036 नि0तिथि-26.05.14 टैक्स-25.08.26 फिट0-15.10.26 बीमा-13.03.27 प्रदूषण-13.03.27 VLTD-08.09.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	बंगराघाट-छपरा मार्ग सं0-3665 बंगराघाट प्र0-05:05 छपरा प्र0-11:42 बंगराघाट प्र0-14:30 छपरा प्र0-18:14	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-24.07 2021 को निर्गत है।	स्वीकृत।
25	सिराजुदीन पिता- मो0 अलाउदीन, ग्राम-पचमवों, पो0- हथुआ बाजार, थाना-हथुआ, जिला-सारण। बैनर का नाम- हमसफर।	BR29PA-8769 नि0तिथि-09.12.20 टैक्स-11.08.26 फिट0-27.01.27 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-18.11.26 VLTD-15.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हों	सिवान-बसंतपुर मार्ग सं0-3980 सिवान प्र0-07:00 बसंतपुर प्र0-08:30 सिवान प्र0-11:25 बसंतपुर प्र0-12:24 सिवान प्र0-13:40 बसंतपुर प्र0-14:40 सिवान प्र0-17:55 बसंतपुर प्र0-18:55	आपतिकर्ता-सुनील कुमार दूबे, पिता-स्व0 मनन दूबे, परमिट सं0- BR/109/ SC/ 2015/83 आवृत वाहन सं0-BR29R-8535, मार्ग-....., मार्ग सं0-..... आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :- आवेदक मलमलिया प्र0-09:00 आपतिकर्ता मलमलिया प्र0-09:05 आवेदक सिवान प्र0-11:25 आपतिकर्ता सिवान प्र0-11:30 आवेदक मलमलिया प्र0-15:00 आपतिकर्ता मलमलिया प्र0-15:05 आवेदक सिवान प्र0-13:40 वा0सं0-BR29G-4135 सिवान प्र0-13:45 अंतराल-05 मिनट साथ ही आवेदनकर्ता के प्रकाशन में मॉडल 2013 दिखाया गया है, जबकि वाहन अन्य मॉडल का है। अपने वाहन से मेरे दो-दो वाहन को प्रभावित कर रहे हैं एवं कि0मी0 में भी आने एवं जाने में अन्तराल है। दूसरे खेप में तरवारा से अफराद की दूरी 10कि0मी0 को 23 मिनट में तय कर रहे हैं। उपरोक्त रूट ही सही नहीं है। सिवान से मलमलिया का रूट है, जबकि बसंतपुर बीच का रूट है।	BR29R-8535 नि0तिथि-06.11.14 टैक्स-05.02.27 फिट0-14.01.27 बीमा-24.10.26 प्रदूषण-18.08.26 VLTD-02.02.28 जुर्माना- नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	आपति के आलोक में जॉय की गई, जिससे पाया गया कि दो वाहनों के बीच में प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अंतराल एवं गति सीमा का अनुपालन हो रहा है, परन्तु आवेदक द्वारा समय-सारणी में वाहन का मॉडल सं0 त्रुटिपूर्ण अंकित की गई है, जिस कारण से मो0 5000/-रु0 का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अतः उक्त जुर्माने के साथ परमिट स्वीकृति दी जाती है।
26	श्री प्रभुनाथ सिंह, पिता-सुरेश राय, देवापुर, बरौली, गोपालगंज। बैनर का नाम- दीपक राज	BR28P-8299 नि0तिथि-18.02.26 टैक्स-17.08.26 फिट0-17.02.28 बीमा-10.02.27 प्रदूषण-17.02.27 VLTD-15.04.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-नहीं।	कृतपुरा बाजार- गोपालगंज मार्ग सं0-3753 कृतपुरा बाजार प्र0-04:58 गोपा0 प्र0-08:05 कृतपुरा बाजार प्र0-09:35 गोपा0 प्र0-12:02	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।

	श्री आशु कुमार राय, पिता-धर्मेश्वर राय, ग्राम-डुमरहर बुर्जग, पो0-डुमरहर खुर्द, थाना-दरौली जिला-सारण बैनर का नाम- जय सिया राम कंपनी	BR29PB-1217 नि0तिथि-20.05.25 टैक्स-14.08.26 फिट0-19.05.27 बीमा-23.04.27 प्रदूषण-27.05.27 VLTD-23.05.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	मेहरौना-सिवान मार्ग सं0-3696 मेहरौना प्र0-06:50 सिवान प्र0-07:45 मेहरौना प्र0-09:00 सिवान प्र0-10:11 मेहरौना प्र0-11:03 सिवान प्र0-12:01 मेहरौना प्र0-12:55 सिवान प्र0-15:45 मेहरौना प्र0-16:40 सिवान प्र0-17:45	आपतिकर्ता-विकास राय, पिता-दीनानाथ राय, परमिट सं0- BR2024-SC-1334A आवृत वाहन सं0-BR28P-1964, मार्ग-मेहरौना-सिवान, मार्ग सं0-3696 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :- आवेदनकर्ता 5 खेप के लिए प्रकाशन कराये हैं। मेहरौना से सिवान की दूरी 40 कि0मी0 है एवं लोकल रोड है, रास्ते में 4 प्रखण्ड कार्यालय 3 बजार एवं बहुत विद्यालय रोड में पड़ता है। जिस तरह इन्होंने बीच का अन्तराल दिये हैं वे जनहित में सोचनीय हैं, क्योंकि व्यस्त मार्ग होते हुये भी किस गति से परिचालन किया जायेगा।	BR28P-1964 नि0ति0-28.12.19 टैक्स-27.09.26 फिट0-14.04.28 बीमा-08.05.27 प्रदूषण-10.04.27 VLTD-08.04.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-10.07.2025 को निर्गत है।	आपति के आलाक में जीव की गई, जिससे पाया गया कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम गति सीमा का अनुपालन हो रहा है। अतः उक्त के आलाक में परमिट स्वीकृत।
28	श्री मुन्ना कुमार सिंह, पिता-सुदामा सिंह, कौड़िया सरनीहा टोला, सिवान। बैनर का नाम- मुन्ना डीलक्स	BR04J-0476 नि0तिथि-10.12.10 टैक्स-31.08.26 फिट0-09.06.27 बीमा-27.01.27 प्रदूषण-15.02.27 VLTD-07.05.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	बसंतपुर-छपरा मार्ग सं0-4093 बसंतपुर प्र0-09:10 छपरा प्र0-13:18	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-16.04.2021 को निर्गत है।	स्वीकृत।
29	श्री जय प्रकाश, पिता-महेश यादव, ग्राम-नेथुआ, पो0-मिर्जापुर, थाना-मढौरा, जिला-सारण। बैनर का नाम- जय मी शोरावाली	BR04G-5348 नि0तिथि-26.02.10 टैक्स-31.07.26 फिट0-24.03.27 बीमा-14.03.27 प्रदूषण-17.03.27 VLTD-18.12.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	मशरक-छपरा मार्ग सं0-2164डा0 मशरक प्र0-05:55 छपरा प्र0-15:29	आपति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।

30	श्री धर्मेश्वर राय, पिता-भरत राय, ग्राम-डुमरहर बुर्जग, पो-डुमरहर खुर्द, थाना-दरौली जिला-सारण बैनर का नाम- जय सिया राम कंपनी	BR29N-9274 नि० तिथि-03.12.13 टैक्स-01.08.26 फिटो-11.02.27 बीमा-28.02.27 प्रदूषण-30.11.26 VLTD-28.02.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	मेहरौना-सिवान मार्ग सं०-3696 मेहरौना प्र०-06:05 सिवान प्र०-07:05 मेहरौना प्र०-07:57 सिवान प्र०-09:45 मेहरौना प्र०-10:35 सिवान प्र०-12:14 मेहरौना प्र०-13:17 सिवान प्र०-16:28	(1) आपत्तिकर्ता-विरेश कुमार राय, पिता-हरेराम राय, परमिट सं०- आवृत वाहन सं०-BR01PS-7181, मार्ग-....., मार्ग सं०-..... आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है :- आवेदक सिवान प्र०-07:05 आपत्तिकर्ता सिवान प्र०-07:05 अंतराल-00 मिनट आवेदक मेहरौना प्र०-07:57 आपत्तिकर्ता (आवेदक का ही अन्य वा० सं०-BR29PA-1960) मेहरौना प्र०-08:00 अंतराल-03 मिनट (2) आपत्तिकर्ता-विकास राय, पिता-दीनानाथ राय, परमिट सं०- BR2024-SC-1334A आवृत वाहन सं०-BR28P-1964, मार्ग-मेहरौना-सिवान, मार्ग सं०-3696 आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है :- आवेदनकर्ता का वाहन 13 वर्ष पुरानी हो चुकी है और प्रतिदिन 320 कि०मी० के लिये 4 खेप आना एवं जाना है। लोकल रोड एवं व्यस्त बाजार एवं विधालय है तथा 2 वर्ष बाद 100कि०मी० प्रतिदिन चलना है।	BR01PS-7181 नि० ति०-28.04.17 टैक्स-14.07.26 फिटो-29.05.27 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-26.11.26 VLTD-05.11.27 जुर्माना-नहीं BR29PA-1960 नि० ति०-28.07.16 टैक्स-27.07.26 फिटो-22.12.26 बीमा-16.03.27 प्रदूषण-30.11.26 VLTD-26.12.26 जुर्माना-नहीं BR28P-1964 नि० ति०-28.12.19 टैक्स-27.09.26 फिटो-14.04.28 बीमा-08.05.27 प्रदूषण-10.04.27 VLTD-08.04.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आपत्ति के आलोक में आवेदक द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि आपत्तिकर्ता का अन्य वाहन सं०-BR29PA-1569 का बीमा, फिटनेश, टैक्स पिछल छः माह से अद्यतन नहीं है एवं आलोक बिहार बैनर के अंतर्गत संचालित वाहन सं०-BR29N-8342 का परिचालन स्कूल/कॉलेज में किया जाता है, जबकि इसकी टाईमिंग परमिट प्राप्त है तथा आलोक बिहार बैनर के अंतर्गत तीन वाहनों का परमिट प्राप्त कर सभी वाहनों का टाईम मिलाकर एक वाहन का परिचालन किया जाता है एवं अन्य दो वाहन परिचालन स्कूल/ कॉलेज में किया जाता है।	प्रथम आपत्ति के आलोक में समय-सारणी में टकराव होने के कारण प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत। साथ ही आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये शिकायत जो कार्यालय अभियुक्ति में वर्णित है, के संबंध में DTO, सिवान को निदेश दिया जाता है कि उक्त की जाँच कर विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
31	श्री भुपेन्द्र सिंह, पिता-रामश्रेया सिंह ग्राम-बतारौली, जिला-मुजफ्फरपुर बैनर का नाम- जय बाबा गुरुदेव	BR06PC-5455 नि० तिथि-16.01.15 टैक्स-14.07.26 फिटो-06.02.27 बीमा-14.01.27 प्रदूषण-22.09.26 VLTD-04.02.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	मौझी-बैरिया मार्ग सं०-3957 मौझी प्र०-03:49 बैरिया प्र०-08:24 मौझी प्र०-12:20 बैरिया प्र०-15:48	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो मुज० प्राधिकार से दिनांक-10.08.2021 को निर्गत है।	स्वीकृत।
32	श्री प्रमुनाथ सिंह, पिता-सुरेश राय, देवापुर, बरौली, गोपालगंज। बैनर का नाम- दीपक राज	BR28P-9499 नि० तिथि-05.06.26 टैक्स-04.09.26 फिटो-04.06.28 बीमा-24.05.27 प्रदूषण-04.06.27 VLTD-26.07.28 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हॉ	कृतपुरा बाजार- गोपालगंज मार्ग सं०-3753 कृतपुरा बाजार प्र०-04:18 गोपा० प्र०-07:30 कृतपुरा बाजार प्र०-10:32 गोपा० प्र०-11:36	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	स्वीकृत।

श्री अभिषेक कुमार, पिता-उपेन्द्र राय, ग्राम-कोरेया, भोरे, जिला-गोपालगंज बैनर का नाम- मेघदूत।	UP53BT-9905 नि०तिथि-06.07.12 टैक्स-16.09.26 फिट0-09.01.27 बीमा-29.11.26 प्रदूषण-06.01.27 VLTD-09.01.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-नहीं	पगरा-गोपालगंज मार्ग सं०-4101 पगरा प्र०-05:05 गोपा० प्र०-09:00 पगरा प्र०-11:29 गोपा० प्र०-14:36	(1) आपत्तिकर्ता-स्वपना कुमारी, पिता-श्रीराम चौधरी, परमिट सं०-आवृत वाहन सं०-BR19C-4622, मार्ग-....., मार्ग सं०-..... आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है :- आवेदक गोपालगंज प्र०-14:36 आपत्तिकर्ता गोपालगंज प्र०-14:39 अंतराल-03 मिनट आवेदक गोपालगंज प्र०-09:00 आपत्तिकर्ता वा०सं०-BR05P-8251) गोपालगंज प्र०-09:02 अंतराल-02 मिनट (2) आपत्तिकर्ता-प्रशांत कुमार पिता-योगेन्द्र तिवारी, परमिट सं०- BR2021-SC-2370A आवृत वाहन सं०-BR28P-1220, मार्ग-पगरा-मुजफ्फरपुर, मार्ग सं०-3842 आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत है :- आवेदक पगरा प्र०-05:05 आपत्तिकर्ता पगरा प्र०-05:06 अंतराल-01 मिनट	BR19C-4622 नि०ति०-13.04.10 टैक्स-27.07.26 फिट०-14.02.27 बीमा-05.02.27 प्रदूषण-03.02.27 VLTD-05.03.27 जुर्माना-नहीं BR05P-8251 नि०ति०-15.05.10 टैक्स-31.07.26 फिट०-25.03.26 बीमा-05.12.25 प्रदूषण-30.11.26 VLTD-06.07.27 जुर्माना-नहीं BR28P-1220 नि०ति०-30.01.19 टैक्स-03.10.26 फिट०-21.04.27 बीमा-11.07.27 प्रदूषण-01.04.27 VLTD-29.05.27 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से से आवृत नहीं है।		प्रथम आपत्ति एवं द्वितीय आपत्ति के आलोक में समय- सारणी टकराव के कारण परमिट आवेदन अस्वीकृत।
34 श्री जितेन्द्र शाही, ग्राम+पो०-बल्थरी, कुचायकोट, जिला-गोपालगंज। बैनर का नाम- शाही रथ।	BR28L-1228 नि०तिथि-04.02.15 टैक्स-22.07.26 फिट०-08.06.27 बीमा-04.02.27 प्रदूषण-05.02.27 VLTD-05.06.27 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	गोपालगंज बंजारी मोर-दोना शुकुल बाबा मार्ग सं०-3813 गोपा० बंजारी मोड़ प्र०-06:30 दोना शुकुल बाबा प्र०-08:30 गोपा० बंजारी मोड़ प्र०-10:35 दोना शुकुल बाबा प्र०-11:50 गोपा० बंजारी मोड़ प्र०-14:00 दोना शुकुल बाबा प्र०-15:10 गोपा० बंजारी मोड़ प्र०-17:10 दोना शुकुल बाबा प्र०-18:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-22.08.2020 को निर्गत है।		स्वीकृत।

35	श्री मंजीत कुमार, पिता-सुरेन्द्र पुरी, रामपुर खजुरिया, हुसैनी, पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम- मों वैष्णव।	NEW आवेदन सं०- BR260707P2 944065	सिवान-मोतिहारी मार्ग सं०-2199 सिवान प्र०-01:45 मोतिहारी प्र०-04:34 सिवान प्र०-07:09 मोतिहारी प्र०-10:31 सिवान प्र०-12:46 मोतिहारी प्र०-15:48 सिवान प्र०-20:02 मोतिहारी प्र०-23:05	आपतिकर्ता-श्री देवेन्द्र कुमार, पिता-धुवनाथ प्रसाद, परमिट सं०- ---- आवृत वाहन सं०- BR05PC- 0553 मार्ग- , मार्ग सं०- आपतिकर्ता का आपति है कि :- आवेदक सिवान प्र०-07:09 आपतिकर्ता सिवान प्र०-07:09 अंतराल-00 मिनट आवेदक मोतिहारी प्र०-10:31 आपतिकर्ता मोतिहारी प्र०-10:30 अंतराल-01 मिनट आवेदक खजुरिया प्र०-09:15 आपतिकर्ता खजुरिया प्र०-09:14 अंतराल-01 मिनट (आपतिकर्ता का आवेदन क्र०-4 पर आवेदित है।)	BR05PC-0553 नि०ति०-04.06.26 टैक्स-03.09.26 फिट०-03.06.28 बीमा-03.06.27 प्रदूषण-03.06.27 VLTD-30.07.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	आवेदित वाहन का निबंधन सं०-BR05PC- 0805 को वाहन पोर्टल पर जाँच करने पर Registration No. Not Found प्रदर्शित हो रहा है, जिस कारण से वाहन के किसी भी कागजात की जाँच नहीं हो पायी है। इसलिए तकनीकी रूप से इस परमिट को निर्गत नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त के आलोक में आवेदन अस्वीकृत।
36	श्री प्रमात्मा सिंह, पिता-वकली सिंह, ग्राम-कौरिया, पो०-बसंतपुर, थाना-भगवानपुर, जिला-सिवान बैनर का नाम- उ० नमः शिवाय	BR06PC-1851 नि०ति०-10.04.14 टैक्स-27.09.26 फिट०-11.08.26 बीमा-02.11.26 प्रदूषण-27.07.26 VLTD-22.09.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ	दिघवा दिघौली- सिवान मार्ग सं०-4031 दिघवादुवौलीप्र०-04:21 सिवान प्र०-07:01 दिघवादुवौलीप्र०-09:15 सिवान प्र०-12:42 दिघवादुवौलीप्र०-14:35 सिवान प्र०-17:15	(1) आपतिकर्ता-सुशील कुमार शर्मा, पिता-संत बिहारी शर्मा, परमिट सं०- BR2023-SC-1759A आवृत वाहन सं०- BR29PA-9709, मार्ग-भगवानपुर-सिवान, मार्ग सं०-2214 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :- आवेदक सिवान प्र०-17:15 आपतिकर्ता सिवान प्र०-17:20 अंतराल-05 मिनट (2) आपतिकर्ता-अर्चना मिश्रा, पति-सुशील शर्मा, परमिट सं०- BR2026-SC-1502A आवृत वाहन सं०-BR29PB-2204, मार्ग-बसौली-सिवान, मार्ग सं०-3690 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत है :- आवेदक सिवान प्र०-12:42 आपतिकर्ता सिवान प्र०-12:45 अंतराल-03 मिनट आवेदक मलमलिया प्र०-15:16 आपतिकर्ता मलमलिया प्र०-15:19 अंतराल-03 मिनट	BR29PA-9709 नि०ति०-02.03.22 टैक्स-17.08.26 फिट०-01.04.28 बीमा-18.02.27 प्रदूषण-31.03.27 VLTD-17.04.28 जुर्माना-नहीं BR29PB-2204 नि०ति०-01.05.26 टैक्स-27.07.26 फिट०-30.04.28 बीमा-29.04.27 प्रदूषण-30.04.27 VLTD-27.05.28 जुर्माना-नहीं	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।	द्वितीय आपति के आलोक में सिवान में समय-सारणी टकराव के कारण द्वितीय ट्रिप कटाव के साथ परमिट स्वीकृत।

कैरेज परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन एवं आपतियों पर विचारण :-

कार्यावली संख्या-3(ii)

परिशिष्ट-I

प्राप्त आवेदनों की विवरणी				परमिट विवरणी	आपत्ति से संबंधित विवरणी	कार्यालय समीक्षा	
क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम, पता	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	परमिट संख्या/वैधता	आपत्ति	कार्यालय अभियुक्ति/समीक्षा	निर्णय
1.	श्री मुन्ना कुमार पाण्डेय, पिता- महेश पाण्डेय, नया सबलपुर, मखदुमपुर, भोजपुर।	BR03PB-3549 नि०तिथि-19.08.25 टैक्स-18.11.26 फिटनेश-18.08.27 बीमा-25.07.26 प्रदूषण-18.08.26 VLTD-22.08.27 जुर्माना-नहीं	छपरा-आरा मार्ग सं०-5218डा0 छपरा प्र०-02:30 आरा प्र०-04:13 छपरा प्र०-07:40 आरा प्र०-10:13 छपरा प्र०-12:40 आरा प्र०-15:20 छपरा प्र०-17:50 आरा प्र०-20:05	परमिट संख्या-BR2021-SC-2094A परमिट की वैधता-14.09.2021 से 13.09.2026 तक	आपत्ति प्राप्त नहीं।	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि यह परमिट दिनांक-14.09.2021 को पटना प्राधिकार से निर्गत है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 949, दिनांक-27.09.2024 के अनुसार परमिट के निर्गमण की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्रतिहस्ताक्षर कराया जाना है। विलम्ब की स्थिति में अधिकतम 180 दिनों तक के लिए 20000/-रुपये विलम्ब फीस के आधार पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाना है, परन्तु आवेदित परमिट वर्ष-2021 में निर्गत और वर्तमान में प्रतिहस्ताक्षर हेतु समर्पित किया गया है, जो नियमानुसार नहीं है।	कार्यालय अभियुक्ति के आलोक में प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त आवेदन अस्वीकृत।
2	श्री महेश पाण्डेय, पिता-रामदेव पांडे, नया सबलपुर, मखदुमपुर, भोजपुर।	BR03PA-5498 नि०तिथि-30.01.18 टैक्स-29.04.27 फिटनेश-08.01.28 बीमा-06.01.27 प्रदूषण-13.10.26 VLTD-09.01.28 जुर्माना-नहीं	आरा-छपरा मार्ग सं०-5218 आरा प्र०-02:45 छपरा प्र०-04:55 आरा प्र०-07:15 छपरा प्र०-09:50 आरा प्र०-12:50 छपरा प्र०-14:40 आरा प्र०-17:15 छपरा प्र०-19:00	परमिट संख्या-BR2021-SC-1995A परमिट की वैधता-29.09.2021 से 28.09.2026 तक	आपत्ति प्राप्त नहीं।	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि यह परमिट दिनांक-29.09.2021 को पटना प्राधिकार से निर्गत है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 949, दिनांक-27.09.2024 के अनुसार परमिट के निर्गमण की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्रतिहस्ताक्षर कराया जाना है। विलम्ब की स्थिति में अधिकतम 180 दिनों तक के लिए 20000/-रुपये विलम्ब फीस के आधार पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाना है, परन्तु आवेदित परमिट वर्ष-2021 में निर्गत और वर्तमान में प्रतिहस्ताक्षर हेतु समर्पित किया गया है, जो नियमानुसार नहीं है।	कार्यालय अभियुक्ति के आलोक में प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त आवेदन अस्वीकृत।

नोट:-

- (1) उपरोक्त कार्यावली सं0-3(i) के क्रमांक 1 से 45 आवेदित वैसे वाहन, जो पूर्व से परमिट से आवृत है, पर लगाई गई शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त लगाया जाता है कि पूर्व से धारित परमिट का प्रत्यर्पण करने या परमिट प्रत्यर्पण संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराने के पश्चात् एवं लगायी गयी सभी शर्तों का अनुपालन होने व बकाया जुर्माना जमा करने के पश्चात् ही परमिट निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।
- (2) सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि कार्यावली संख्या-3(i) के क्रमांक-1 से 36 तक के निर्णय में लगाई गई शर्त एवं उक्त कंडिका (1) में लगाई गई शर्त का अनुपालन दिनांक-31.03.26 तक अनिवार्य रूप से करते हुए उसकी साक्ष्य कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे अन्यथा लगाये गये शर्त का अनुपालन दिनांक-25.09.26 तक नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि लगाये गये शर्त पर वाहन स्वामी परमिट लेने हेतु इच्छुक नहीं है एवं इस आधार पर आवेदन **Dispose Off** कर **Time Slot Free** कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (3) जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को निदेश है कि कार्यावाही में वर्णित जिस वाहन का परमिट आवेदन अस्वीकृत किया गया है एवं पूर्व से भी उक्त वाहन के पक्ष में कोई वैध परमिट न हो तो वैसे वाहन का परिचालन न किया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे वाहनों का परिचालन पाया जायेगा, उनकी जबाबदेही तय की जायेगी।

अपर सारण, सारण (राजस्व)
-सह-
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण छपरा।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण, छपरा।